



Neutral Citation No. - 2026:AHC:4241

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44780 वर्ष 2025

मोहर सिंह

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : अजय कुमार शर्मा, अतुल शर्मा
विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : अनिल कुमार, दामोदर सिंह, देवेन्द्र विक्रम सिंह,
जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई।
2. श्री अतुल शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से, श्री देवेन्द्र विक्रम सिंह, विद्वान अधिवक्ता, सूचक की ओर से, तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, विद्वान राज्य विधि अधिकारी, राज्य की ओर से की सुनवाई की गई एवं अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया गया।
3. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 317 वर्ष 2025, धाराएँ 191(2), 191(3), 190, 115(2), 351(3), 352, 109(1), 103(1) बी.एन.एस., 2023, थाना सदर बाजार, जिला मथुरा, के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा वर्तमान प्रकरण में उसे असत्य रूप से फँसाया गया है। आवेदक को उकसावे की भूमिका सौंपी गई है तथा मृतक व्यक्ति को गोली की चोट पहुँचाने की भूमिका सह-अभियुक्त नंदा को सौंपी गई है, अतः आवेदक जमानत का अधिकारी है। प्राथमिकी स्वयं लगभग 10 घंटे विलम्ब से दर्ज की गई है तथा उक्त विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है।



5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 13.10.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा वह विचारण में सहयोग करने को तत्पर है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
6. विद्वान सूचक के अधिवक्ता और विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाये गये निवेदन को विवादित नहीं कर सके।
7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किये गये निवेदन, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा यह ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को केवल उकसावे की भूमिका सौंपी गई है, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, न्यायालय प्रथम दृष्ट्या यह विचार रखता है कि आवेदक ने जमानत के लिए प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
8. आवेदक - मोहर सिंह, जो उपर्युक्त अपराध मामले में संलिप्त है, को सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा प्रत्येक समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाये।
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों को दबाव में नहीं लायेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित होगा।
9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

8 जनवरी, 2026

(रवि कांत)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।